

FORM NO III

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान :- अछर सिंह बनाम मखन सिंह आदि
 धारा :- इजराय मुकदमा नं०:- 67 /2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अगिशील्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
17.7.2017	<p>वकील डिकीदार द्वारा ईजराय पेश की गई। बाद कार्यालय टिप्पणी के ईजराय दर्ज रजिस्टर की जावे तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेश दिया जावे कि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो नियमानुसार डिकी की पालना की जावे। पत्रावली दिनांक 31.7.2017 को पेश हो। <i>EL</i></p> <p><i>7/7/17</i></p> <p>अभिभाषकमण उपस्थित ! पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य सुनाव वक्त में वास्तु है। पत्रावली दिनांक..... <i>21/7/17</i> को पेश हो।</p>	<p><i>चक्र 2 mod B</i> <i>के इ.न. 598</i> <i>द्वारा डिकी</i> <i>की पालना की</i> <i>जा चुकी है</i></p> <p><i>[Signature]</i> <i>25/05/2018</i></p>
<i>25/5/18</i>	<p><i>पत्रावली शकल व लोक अदालत केंद्र इगलीवाल</i> <i>कतुब के पेश हुई। गुताचिठ रिफ्रेड प.ए.</i> <i>इंतकात सं. 598 दर्ज है चुका है पत्रावली</i> <i>के लला गुता है।</i> <i>EL</i></p> <p>सहायक कलेक्टर उप-अध्याय अधिकारी हनुमानगढ़</p>	